

09/2  
2013

इसलिए वहां वारीगण अनुपस्थित।  
न्यायालय समय से एक-एक कर  
करके वार आवाज लगवाने पर भी  
इसलिए वारीगण अधक वारीगण  
स्वयं उपस्थित नहीं हुए। मृतक परिवार  
के कामस मुकाम हेतु ल.पु.ज एवं  
परिवारीय की तलाश हेतु गैरीस भी  
पहुंचा नहीं फिर जर हो जति, वाउ पत्र  
अदम दजरी अदम पैरवी में खरीजे  
किता जाव हो। फायली केस  
शुमा वेमर नमैय ले कम हो।

६०  
(रामचन्द्र खटीक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़